

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं  
सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग  
मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 03/05/2001

क्रमांक एफ-10/38/2001/वा0कर/(पं)/पॉच- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्याक -16) की धारा-78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद द्वारा रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी जो 1 मार्च 1975 से प्रवृत्त है, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-


**संशोधन**

रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में,  
अनुच्छेद 17-क के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात:-

सत्रहवां अनुच्छेद

- (क-1) किसी व्यक्ति के लाभ के लिए या धारा 65, 66 तथा 67 के अधीन किसी कार्यालय को प्रेषित करने के लिये कारणों, प्रविष्टियों तथा दस्तावेजों की ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपियों, जो फोटो कापी मशीन द्वारा बनाई गई हो, के लिये अतिरिक्त फीस देय होगी।
- प्रत्येक पृष्ठ के लिये दो  
रुपये देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(के0आर0मिश्रा)

उप सचिव  
वित्त, वाणिज्यिक कर, विभाग  
छत्तीसगढ़ शासन

Government of Chhattisgarh  
Finance, Commercial Tax, Planning, Economic and Statistic  
& 20 Point Programme Implementation Department  
Mantralaya

**NOTIFICATION**

Raipur, dated 03/05/2001

**No. f-10/38/2001/C.T. (R)/V-** In exercise of the powers conferred under Section 78, of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby makes the following amendment in The Table of Registration Fees which is in force from 1st March 1975, namely:-

**AMENDMENT**


In the Table of Registration Fees -

After article 17-a the following clause shall be inserted, namely -

**" ARTICLE SEVENTEEN"**

- |  |  |
|--|--|
| (a-1) For making or granting such certified copies, which are made by Photocopy machine of reasons entries and document for the benefit of any person or to be forwarded to any office under Section 65, 66 and 67, an additional fee shall be chargeable. | For every page rupee two shall be chargeable |
|--|--|

By order and in the name  
of the Governor of  
Chhattisgarh

  
(K.R. Misra)

Deputy Secretary  
Finance, Commercial Tax, Department  
Government of Chhattisgarh